विधान मण्डल के सदस्यों

के

वेतन, भत्ते एव अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समि

का

प्रतिवेदन

(अष्ठम विधान सभा)

(यह प्रतिवेदन विधान सभा में दिनांक ---------------- को तथा
विधान परिषद् में दिनांक ------------ को प्रस्तुत किया गया।)

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश
समिति (सामान्य) अनुभाग

विषय-सूची

क्रम-संख्या	विषय	पृष्ठ
1	विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति (1980-81) में सदस्यों की सूची।	क
2	उपस्थापन	ख
3	प्रतिवेदन	1–6
4	परिशिष्ट—	
	(क) समिति के गठन के सम्बन्ध में सभा एवं परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव	7–8
	(ख) समिति की कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण। ..	9–22
	(ग) समिति में विचारार्थ समय-समय पर प्राप्त सुझाव। ..	23–24
	(घ) भूमि तथा भवन खरीदने अथवा मकान बनवाने के सम्बन्ध में अन्य राज्यों से प्राप्त सूचनाएं।	25–26
	(ङ) वाहन क्रय करने की सुविधा के सम्बन्ध में अन्य राज्यों से प्राप्त सूचनाएं।	27
	(ट) विधायकों को परिवहन निगम की बसों में प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी विषयक परिवहन अनुभाग–2 का पत्र। ..	28–29
	(ठ) समिति की संस्तुतियों का सारांश।	30–31

उपस्थापन

मैं उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति के सभापति की हसियत से समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, उक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इस समिति का गठन विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 1980 को पारित प्रस्ताव, जिस पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने कतिपय संशोधनों के साथ दिनांक 4 अक्तूबर, 1980 को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी और जिन संशोधनों को विधान सभा ने अपने दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 के उपवेशन में स्वीकार किया था, के अन्तर्गत दिनांक 10 नवम्बर, 1980 को किया गया था।

समिति ने अपनी बैठकें दिनांक 21 नवम्बर, 1980, 5 जनवरी, 27 जनवरी, 3 अप्रैल, 4, 5 व 6 मई, 10 सितम्बर, 19 अक्तूबर, 1981, 7 नवम्बर, 1981 तथा दिनांक 28 नवम्बर, 1981 को की। दिनांक 7 नवम्बर, 1981 की बैठक में समिति ने प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार किया और दिनांक 28 नवम्बर, 1981 की बैठक में इसे अन्तिम रूप देकर स्वीकार किया।

मैं समिति की ओर से सचिव, विधान सभा तथा विधान सचिवालय के अन्य सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिनके परिश्रम एवं सहयोग से यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

माधवेन्द्र सिंह,
सभापति,
विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति।

दिनांक, लखनऊ 28–11–1981

विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति के सदस्यों की सूची (1980-81)

1—श्री यादवेन्द्र सिंह, (लल्लन जी) उपाध्यक्ष, विधान सभा ..	सभापति
2—श्री ब्रह्म दत्त, वित्त मन्त्री, सदस्य, विधान सभा ..	सदस्य
3—डा0 अम्मार रिजवी, संसदीय कार्य मन्त्री, सदस्य, विधान सभा	सदस्य
4—श्री राजेन्द्र त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा	सदस्य
5—श्री संजय सिंह, सदस्य, विधान सभा	सदस्य
6—श्रीमती सुखदा मिश्रा, सदस्य, विधान सभा	सदस्य
7—श्री स्वामी प्रसाद सिंह, सदस्य, विधान सभा	सदस्य
8—श्री दिवाकर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा ..	सदस्य
9—श्री मीखा लाल, सदस्य, विधान सभा	सदस्य
10—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा	सदस्य
*11—श्री उमा कान्त मिश्र, सदस्य, विधान परिषद्	सदस्य
12—डा0 विश्वनाथ खन्ना, सदस्य, विधान परिषद्	सदस्य
**13—श्री सत्य नारायण सिंह, सदस्य, विधान परिषद्	सदस्य
14—श्री नागेन्द्र नाथ सिंह, सदस्य, विधान परिषद्	सदस्य
15—श्री लालजी टंडन, सदस्य, विधान परिषद्	सदस्य
†16—श्री छेदी प्रसाद, सदस्य, विधान परिषद्	सदस्य

विधान सभा सचिवालय

(1) श्री सत्य प्रिय सिंह, सचिव।

(2) श्री ललित मोहन त्रिपाठी, उप सचिव।

(3) श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना, अनु सचिव एवं समिति अधिकारी।

(4) श्री प्रद्युम्न कुमार, अनुसचिव एवं समिति अधिकारी।

---

*अधिसूचना सं0 2843/वि0स0/प0का0/34(सं)-79, दिनांक 30 सितम्बर, 1981 द्वारा दिनांक 20 जून, 1981 को पूर्वाह्न से स्थान रिक्त घोषित किया गया।

**अधिसूचना सं0 3095 वि0स0/प0का0/34(सं)/79, दिनांक 1 दिसम्बर, 1980 द्वारा दिनांक 20 नवम्बर, 1980 से स्थान रिक्त घोषित किया गया।

†अधिसूचना संख्या 17791 वि0स0/प0का0/34(सं)/79, दिनांक 29 अप्रैल, 1981 द्वारा श्री सत्य नारायण सिंह के स्थान पर नाम निर्दिष्ट किये गये।

प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों पर विचार करने हेतु "विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति" का गठन विधान सभा द्वारा दिनाँक 24 सितम्बर, 1980 को पारित प्रस्ताव, जिस पर विधान परिषद् ने दिनाँक 4 अक्तूबर, 1980 को कतिपय संशोधनों के साथ अपनी सहमति प्रदान की थी और जिन संशोधनों को विधान सभा ने दिनाँक 13 अक्तूबर, 1980 के उपवेशन में स्वीकार किया था, के अनुसार दिनाँक 10 नवम्बर, 1980 को 6 माह के लिए किया गया था। यह अवधि दिनाँक 9 मई, 1981 को समाप्त होती थी। उक्त तिथि तक समिति अपना प्रतिवेदन देने की स्थिति में नहीं थी, अतः दिनाँक 6 मई, 1981 की बैठक में समिति ने यह निश्चय किया कि समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय आगामी सत्र के प्रथम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाय। चूंकि उस समय विधान मण्डल का अधिवेशन नहीं हो रहा था, अतः माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने विधान मण्डल द्वारा समिति का कार्य काल बढ़ाये जाने की स्वीकृति की प्रत्याशा में, समिति को आगामी सत्र के प्रथम दिन तक कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की थी। और उसी दिन सदन में तत्सम्बन्धी प्रस्ताव लाए जाने का निदेश दिया था। विधान सभा का आगामी सत्र दिनाँक 15 सितम्बर, 1981 से प्रारम्भ हुआ था और समिति उस समय तक भी अपना प्रतिवेदन देने की स्थिति में नहीं थी। अतः दिनाँक 15 सितम्बर, 1981 को विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव, जिस पर विधान परिषद् ने दिनाँक 21 सितम्बर, 1981 को अपनी सहमति प्रदान की, के अनुसार उक्त समिति का कार्यकाल दिनाँक 30 नवम्बर, 1981 तक के लिए बढ़ा दिया गया।

(प्रस्तावों के लिए देखिए परिशिष्ट "क")

समिति ने अपने कार्यकाल में कुल 11 बैठकें कीं जो दिनाँक 21 नवम्बर, 1980, 5 जनवरी, 27 जनवरी, 3 अप्रैल, 4, 5, 6 मई, 10 सितम्बर, 19 अक्तूबर, 1981, 7 नवम्बर, 1981 तथा 28 नवम्बर, 1981 को हुईं। दिनाँक 7 नवम्बर, 1981 की बैठक में समिति ने प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार किया एवं दिनाँक 28 नवम्बर, 1981 की बैठक में उसे अंगीकार किया।

[कार्यवाहियों के लिए देखिए परिशिष्ट "ख"]

विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन-भत्ते तथा अन्य उपलब्धियों पर विचार करने हेतु समिति को समय-समय पर कुल 36 सुझाव प्राप्त हुए थे। [सुझावों के लिए देखिए परिशिष्ट "ग"] समिति ने इन सुझावों पर अपनी विभिन्न बैठकों में विचार किया और निम्नलिखित संस्तुतियाँ करती है:—

वेतन एवं भत्ते

विधायकों को मिलने वाले वेतन, भत्ते आदि के सम्बन्ध में यह सुझाव प्राप्त हुए थे कि विधायकों को देय वेतन के स्थान पर भत्ता दिया जाना चाहिए। कुल परिलब्धियाँ रु0 1,000 प्रति माह के स्थान पर रु0 1,500 प्रतिमाह की जायं तथा दैनिक भत्ता रु0 30 से 51 कर दिया जाय।

समिति उक्त सुझावों पर विचारोपरान्त यह संस्तुति करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 1980 में यथा स्थान शब्द "वेतन" के स्थान पर शब्द "प्रतिकर भत्ता" रख दिए जायं।

जहाँ तक निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रु0 500 के स्थान पर रु0 1,000 प्रति माह करने तथा 30 से 51 रु0 दैनिक भत्ता में अभिवर्धन करने का सम्बन्ध है, अब उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1981 द्वारा विधायकों को वेतन रु0 500 और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रु0 1,000 (कुल रु0 1,500) तथा दैनिक भत्ता रु0 30 से बढ़ाकर रु0 40 कर दिया गया है। अतः उपर्युक्त दोनों सुझावों के सम्बन्ध में समिति अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझती।

आनुषांगिक व्यय

विधायकों को सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों या कृत्यों के निर्वहन हेतु प्रदेश में सड़क द्वारा यात्रा करने पर राज्य सरकार के अधीन सेवारत प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों के लिए अनुमन्य दरों पर आनुषांगिक व्यय देय होता है। विधायकों को रेल से यात्रा करने पर प्रथम श्रेणी के रेल किराए के बराबर आनुषांगिक व्यय मिलता है। सड़क द्वारा यात्रा करने पर तथा रेल द्वारा यात्रा करने पर दोनों ही प्रकार की यात्रा में आनुषांगिक व्यय सम्बन्धी एकरूपता लाने हेतु सुझाव था कि बस से यात्रा करने पर बस के किराए के बराबर आनुषांगिक व्यय माननीय सदस्यों को दिया जाय।

प्रदेश के अन्दर बस से यात्रा करने पर मिलने वाले आनुषांगिक व्यय के सम्बन्ध में समिति यह संस्तुति करती है कि बस से यात्रा करने पर बस के किराए के बराबर, जिस प्रकार रेल यात्रा के सम्बन्ध में व्यवस्था है, माननीय सदस्यों को आनुषांगिक व्यय दिया जाय।

आवास सुविधा

आवास सुविधा के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया था कि विधान मण्डल के सदस्यों एवं भूतपूर्व सदस्यों को लखनऊ में स्थायी आवास हेतु भूमि एवं भवन निर्माण हेतु ऋण आदि की सुविधा प्रदान की जाय।

इस सम्बन्ध में लोक सभा/राज्य सभा तथा अन्य राज्यों से सूचना माँगी गयी थी, जो परिशिष्ट "घ" पर है। प्राप्त सूचनाओं पर विचारोपरान्त समिति यह संस्तुति करती है कि सदस्यों को जमीन और मकान खरीदने पर अथवा मकान बनवाने के लिए ऋण की उतनी धनराशि दी जाय जो आवास एवं विकास परिषद् द्वारा हायर इनकम ग्रुप के मकानों के लिए निर्धारित है और उस ऋण की वसूली उतनी समान किस्तों में की जाय जो सरकारी अधिकारियों के लिए निर्धारित है। ऋण पर ब्याज भी उसी दर पर लिया जाय जो सरकारी कर्मचारियों को मकान बनवाने हेतु दिए गये ऋण पर देय होता है और उसके मूलधन और ब्याज की वसूली भी सरकारी कर्मचारियों की भांति इनस्टालमेन्ट में की जाय।

रेल पास की सुविधा

कतिपय माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि रेल कूपनों के स्थान पर उत्तर प्रदेश के अन्दर यात्रा हेतु रेल पास की व्यवस्था की जाय एवं उत्तर प्रदेश के बाहर यात्रा हेतु रेलवे कूपन रहें तथा उत्तर प्रदेश के बाहर रेल यात्रा हेतु रेलवे कूपन की सुविधा रु0 5,000 मूल्य की और बढ़ाई जाय।

रेल पास के सम्बन्ध में समिति के संज्ञान में यह बात आई कि पहले भी यह विषय शासन तथा रेल मन्त्रालय के बीच काफी समय विचाराधीन रहा है परन्तु रेलवे ने लेखे-जोखे के समायोजन तथा अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया है। अतः समिति यह संस्तुति करती है कि इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री कृपया माननीय प्रधान मन्त्री से बात करके इसका कोई हल निकाल लें। प्रदेश के बाहर की रेल यात्रा हेतु कूपन बढ़ाए जाने के सुझाव को समिति ने अस्वीकार कर दिया।

टेलीफोन की सुविधा

टेलीफोन सुविधा के सम्बन्ध में यह सुझाव थे कि जहाँ भी विधायकगण रहते हों, टेलीफोन की सुविधा दी जाय, चाहे सामान्य प्रभार वाले क्षेत्र में हो चाहे उसके बाहर, 1000 लोकल काल्स (250 तथा 750 लोकल काल्स) के बजाय रु0 225 यह धनराशि में से ट्रंक काल्स एवं लोकल काल्स की धनराशि का समायोजन किया जाय तथा निवास स्थान पर दिये गये टेलीफोन को जनपद के अन्दर जनता के कार्यों के लिए निःशुल्क किया जाय ।

समिति ने विचारोपरान्त उपर्युक्त तीनों सुझावों को अस्वीकार कर दिया ।

चिकित्सा सुविधा

विधायकों को उपलब्ध वर्तमान चिकित्सा सुविधा के सम्बन्ध में समिति का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया कि वर्तमान व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि चिकित्सालय से दवाएं प्राप्त करने में उन्हें कई-कई दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है और समय से दवाएं न प्राप्त होने पर यथा समय इलाज नहीं हो पाता है और बीमारी बढ़ जाती है। साथ ही इस सुविधा के दुरुपयोग की ओर भी समिति का ध्यान आकर्षित किया गया। अतः यह सुझाव था कि विधायकों को दवाएं उपलब्ध कराने के लिए उनके नाम से खाते खोल दिए जायं जिनमें रु0 500 प्रतिमाह की दर से रु0 6000 प्रतिवर्ष प्रति विधायक जमा कर दिये जायं। विधायकों द्वारा बाजार से खरीदी गयी दवाओं की रसीद के बदले रुपया इसी खाते से विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय के माध्यम से मिल जाया करे। अस्पताल में भर्ती होने की दिशा में जो धनराशि खर्च करनी पड़ती है उसे इसमें सम्मिलित न किया जाय।

उपर्युक्त सुझाव पर विचारोपरान्त समिति ने संस्तुति की कि विधायकों को उपलब्ध वर्तमान चिकित्सा सुविधा के स्थान पर रु0 200 प्रतिमाह प्रति विधायक चिकित्सा भत्ता दे दिया जाय। किन्तु उनके तथा उनके परिवार के सदस्यों के अस्पताल में भर्ती होने की दशा में उन्हें निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाय जैसाकि इस समय है। भूतपूर्व विधायकों के सम्बन्ध में समिति ने संस्तुति की कि भूतपूर्व विधायकों को अस्पताल में भर्ती होने पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाय, चाहे पेंशन के हकदार हों या न हों ।

वाहन क्रय सुविधा

वाहन क्रय करने की सुविधा के सम्बन्ध में यह सुझाव आया था कि डीजल जीप खरीदने हेतु ब्याज रहित ऋण की सुविधा दी जाय, डीजल जीप सरकारी करों से मुक्त उपलब्ध करायी जाय और यदि यह सम्भव न हो तो उसका भार शासन द्वारा वहन किया जाय। ऋण की वसूली विधायकों को प्रदत्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता से की जाय। एक अन्य सुझाव यह भी था कि मोटरकार/जीप/स्कूटर क्रय करने हेतु प्रतिदेय अग्रिम (रिपेयबुल एडवान्स) की सुविधा प्रदान की जाय एवं निर्धारित मूल्य पर एक स्कूटर क्रय करने हेतु सरकारी परमिट दिया जाय। इस सम्बन्ध में यह सुझाव भी प्राप्त हुई थी कि हरियाणा सरकार की तरह 4 प्रतिशत ब्याज पर जीप व कार दिया जाय और विधायकों को सांसदों के समान एक्साइज ड्यूटी-फ्री जीप दिलाई जाय। इस सम्बन्ध में लोकसभा/राज्य सभा तथा अन्य राज्यों से सूचनाएं माँगी गयी थीं और वह परिशिष्ट "ञ" पर हैं। उक्त प्राप्त सूचनाओं पर विचारोपरान्त समिति यह संस्तुति करती है कि शासन विधायकों को एक मोटर गाड़ी/जीप/स्कूटर/मेटाडोर आदि क्रय करने के लिए ऋण की व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से करे और उसे प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये तथा बिक्री-कर से छूट दे। साथ ही एक्साइज ड्यूटी से छूट के लिए केन्द्र सरकार को लिखा जाय।

भूतपूर्व सदस्यों की पेंशन की सुविधा

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) अधिनियम, 1952 में वर्ष 1976 में यह संशोधन करके दिनांक 1-1-77 से कतिपय शर्तों के अधीन

ऐसे भूतपूर्व विधायकों को पेंशन देने की व्यवस्था की गयी थी जो पूरे 5 वर्ष तक दिनांक 15 अगस्त 1947 से और उसके बाद विधान सभा के सदस्य रहे हों। बाद में 1-1-80 से ऐसे भूतपूर्व सदस्यों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था की गयी, जिनकी सदस्यता की 5 वर्ष की अवधि में अधिकतम एक माह की कमी हो तथा जो वर्ष 1946 से विधायक रहे हों। इस सम्बन्ध में समिति के समक्ष में यह सुझाव प्राप्त हुआ कि ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को भी जिन्हें 1–1980 से पेंशन देय हो गयी है अन्य भूतपूर्व सदस्यों की भांति 1–1–77 से पेंशन दी जाय। एक अन्य सुझाव यह भी था कि पेंशन के लिए 15 अगस्त, 1947 के स्थान पर 18 फरवरी, 1947 को आधार तिथि माना जाय तथा वर्ष 1946 से 1952 तक के भूतपूर्व सदस्यों को भी छूट देकर पेंशन की सुविधा दी जाय। एक यह भी सुझाव था कि वर्ष 1937 की विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों को भी पेंशन की सुविधा दी जाय। ऐसे सदस्यों को भी पेंशन की सुविधा दिये जाने का सुझाव दिया गया था, जो विधान सभा के विघटन के कारण अपनी पांच वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर सके हैं अथवा जिनकी 5 वर्ष की अवधि दो विधान सभा की कालावधि को मिलाकर भी पूरी नहीं होती है। पेंशन की अधिकतम धनराशि रु0 500 से बढ़ाकर 600 किए जाने का भी सुझाव प्राप्त हुआ था।

समिति का ध्यान उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) अधिनियम, 1980 के सम्बन्धित उपबन्धों की ओर आकृष्ट करते हुए समिति को यह बताया गया कि जहाँ तक ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को जो 1 जनवरी, 1946 और भारत का संविधान के प्रारम्भ की दिनांक के बीच और तत्पश्चात राज्य के लिए अस्थायी विधान मण्डल के सदन के सदस्य के रूप में कार्य किये हों तथा ऐसे सदस्यों को भी जिनकी सदस्यता की 5 वर्ष की अवधि में अधिकतम एक माह कम हो, पेंशन की व्यवस्था की जा चुकी है। साथ ही बाद में उक्त अधिनियम, 1980 में संशोधन करके ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को 1–1–77 से पेंशन दिये जाने की भी व्यवस्था हो चुकी है। अतएव, इस सम्बन्ध में दिये गये सुझावों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

समिति ने पेंशन की अधिकतम धनराशि बढ़ाकर 600 रु0 किए जाने के सुझाव को स्वीकार नहीं किया।

वर्ष 1937 के भूतपूर्व सदस्यों को भी पेंशन दिये जाने के सुझाव के सम्बन्ध में समिति ने विचारोपरान्त यह संस्तुति की है कि वर्ष 1937 के ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को, जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, कम से कम 300 रु0 प्रति माह पेंशन दी जाय। भले ही उनकी सदस्यता की अवधि कुछ भी रही हो।

समिति ने ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को भी जो विधान सभा के विघटन के कारण अपनी 5 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर सके हैं, अथवा जिनकी 5 वर्ष की अवधि 2 विधान सभाओं की कालावधि को मिलाकर भी पूरी नहीं होती है, पेंशन देने के बारे में विचार किया। विचारोपरान्त समिति ने यह संस्तुति की है कि ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को जिनका कार्यकाल एक या एक से अधिक विधान सभा के विघटन के कारण 5 साल का नहीं होता उन्हें भी कम से कम दो सौ रुपया पेंशन दी जाय।

भूतपूर्व सदस्यों को बस पास की सुविधा

माननीय सदस्यों का सुझाव था कि विधायक न रहने पर भी प्रदेश में राजकीय बसों में निःशुल्क बस यात्रा हेतु बस का पास लागू रहे तथा वर्ष 1937 के भूतपूर्व विधायकों को भी राजकीय बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाय। भूतपूर्व विधायकों को बस पास की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों पर विचारोपरान्त समिति ने यह संस्तुति करती है कि यद्यपि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1981 की धारा 3 में पेंशन पाने के हकदार भूतपूर्व विधायकों को प्रदेश में राजकीय बसों में निःशुल्क यात्रा हेतु बस का पास जारी किए जाने की व्यवस्था कर दी गई है, परन्तु इसके अन्तर्गत वे विधायक नहीं आते हैं जो पेंशन के हकदार नहीं हैं। विधायक ने

रहने पर विधायकों की राजनैतिक गतिविधियाँ समाप्त नहीं हो जाती हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए समिति यह संस्तुति करती है कि समस्त भूतपूर्व विधायकों को उत्तर प्रदेश की राजकीय बसों में निःशुल्क बस यात्रा हेतु बस पास की सुविधा प्रदान की जाय।

दूसरा बस पास जारी किया जाना

एक सुझाव यह भी था कि बस पास खो जाने, विकृत या नष्ट हो जाने पर दूसरे बस पास को जारी करने हेतु लिए जाने वाले पाँच रुपए (रु0 5) के भुगतान को समाप्त किया जाय।

समिति ने विचारोपरान्त इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया।

सड़क यात्राओं में निजी बस का प्रयोग

समिति के विचारार्थ यह सुझाव प्राप्त हुआ था कि प्रदेश में सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) नियमावली, 1981 के नियम 28 में की गयी यह व्यवस्था कि राजकीय बस उपलब्ध होने पर यात्रा निजी बस से की जायगी, अधिनियम की भावना के सर्वथा प्रतिकूल है। इसके अतिरिक्त निजी बस से यात्रा करना अत्यन्त असुविधाजनक होता है। अतः नियमावली से इसे निकाल दिया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त समिति यह संस्तुति करती है कि जैसा कि वित्त विभाग की सहमति से विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी किए गये आदेश संख्या 2482/56 (स0उ0) 77, दिनांक 24 मई, 1979 द्वारा इस सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी है उसी के अनुरूप नियमों में यह व्यवस्था कर दी जाय कि जब समिति दौरे पर जाय उस समय सदस्यों की संख्या को देखते हुए चार्टर्ड बस या आवश्यकतानुसार फुल कैपेसिटी की टैक्सी की व्यवस्था की जाय तथा भुगतान सदन के सम्बन्धित सचिवालय द्वारा किया जाय और माननीय सदस्यों को उस दशा में यात्रा भत्ता देय न हो।

सड़क द्वारा यात्रा में राजकीय बस न उपलब्ध होने की दशा में निजी बस द्वारा यात्रा करने के सम्बन्ध में समिति यह संस्तुति करती है कि सम्बन्धित नियम को संशोधित करके यह स्पष्ट कर दिया जाय कि "समय" से सुविधानुसार, निजी बस उपलब्ध हो, न कि केवल मार्ग पर निजी बस चलना मात्र अपेक्षित हो।

बस सुविधाओं की जानकारी

समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि विधायकों को राजकीय बसों में मिलने वाली सुविधा की जानकारी परिवहन विभाग के कर्मचारियों को नहीं है जिसके कारण कभी-कभी विधायकों को राजकीय बसों में आरक्षण न मिल पाने के कारण बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अतः यह सुझाव दिया गया था कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों को राजकीय बसों में विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी तुरन्त कराई जाय।

इस सम्बन्ध में शासन ने सूचित किया है कि परिवहन निगम के पत्र संख्या 3406सी/282रो/81, दिनांक 23 जुलाई, 1981 द्वारा समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों तथा समस्त उप प्रधान प्रबन्धक (जोन्स) को माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। [देखिए परिशिष्ट "ट"]।

विधायकों को आवास आवंटन

समिति को एक सुझाव यह प्राप्त हुआ था कि विधायकों को विधायक निवास में आवास आवंटन में उनकी वरिष्ठता का ध्यान रखना चाहिए तथा आवास आवंटन का कार्य विधान सभा के क्षेत्राधिकार में होना चाहिए।

उक्त सुझाव पर समिति विचारोपरान्त यह संस्तुति करती है कि विधायकों को आवास आवंटन और रख रखाव की व्यवस्था को दोनों सदनों की एक समिति के अधीन कर दिया जाय तथा उससे सम्बन्धित सारा कार्य सदन के सचिवालय में हो। इसके साथ ही विधायकों को आवासों के आवंटन के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सिद्धान्त निश्चित कर दिए जायें ताकि उन्ही के अनुसार आवंटन हो सके। मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में विधायकों की वरिष्ठता, आयु, स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखा जाय।

सहवर्ती

महिला विधायकों को अधिवेशन के दिनों तथा समितियों की बैठकों में आने-जाने के लिए एक सहवर्ती की सुविधा रहती है, परन्तु शेष दिनों में यह सुविधा नहीं रहती है। अतः यह सुझाव समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ कि उन्हें (महिला विधायकों को) अन्य दिनों में भी अपने साथ सहवर्ती लाने की सुविधा मिलनी चाहिए। एक सुझाव यह भी था कि बस यात्रा में सहवर्ती से जो यात्री-कर लिया जाता है उसे न लिया जाय तथा रेल/बस यात्रा में सहवर्ती साथ ले जाने पर यात्रा विवरण निर्धारित पत्र प्रपत्र "ग"/प्रपत्र "च" में देने की आवश्यकता समाप्त की जाय।

इस सम्बन्ध में समिति यह संस्तुति करती है कि जो सहवर्ती की सुविधा उत्तर प्रदेश के भीतर रेल यात्रा कूपनों में महिला सदस्यों को सदन की बैठकों के समय और समितियों की बैठकों के समय प्राप्त है वही अन्य सामान्य यात्राओं के सम्बन्ध में प्रदेश के अन्दर प्राप्त हो।

प्रदेश के अन्दर बस यात्रा में सहवर्ती से लिए जाने वाले यात्री-कर तथा अन्य करों के सम्बन्ध में समिति का मत है कि इसमें कोई परिवर्तन करना वांछनीय नहीं है।

समिति यह भी संस्तुति करती है कि रेल/बस यात्रा में सहवर्ती द्वारा की गयी यात्राओं का विवरण निर्धारित प्रपत्र पर दिए जाने की आवश्यकता सम्बन्धित नियमों में संशोधन करके समाप्त की जाय।

रेल कूपनों से द्वितीय श्रेणी में यात्रा

समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि किसी-किसी ट्रेन में प्रथम श्रेणी का डिब्बा नहीं होता है या डिब्बा होते हुए भी स्थानाभाव के कारण माननीय सदस्यों को प्रथम श्रेणी के टिकट खरीद कर द्वितीय श्रेणी में यात्रा करनी पड़ती है। ऐसी दशा में व्यर्थ ही कूपनों की बरबादी होती है। अतः ऐसी व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया था कि जहाँ प्रथम श्रेणी के डिब्बे न हों अथवा प्रथम श्रेणी का डिब्बा होने के बावजूद स्थान उपलब्ध न हो वहाँ माननीय सदस्य द्वितीय श्रेणी के टिकट के मूल्य के बराबर कूपन देकर द्वितीय श्रेणी का टिकट खरीद कर यात्रा कर सकें।

समिति संस्तुति करती है कि जिस ट्रेन में फर्स्ट क्लास का कम्पार्टमेन्ट न लगता हो या फर्स्ट क्लास कम्पार्टमेंट लगने के बावजूद स्थान उपलब्ध न हो वहाँ सेकेन्ड क्लास का टिकट खरीद कर यात्रा करने का प्राविधान नियमों में कर दिया जाय।

परिशिष्ट-(क)

रजिस्टर्ड नं0 ए0डी0-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 10 नवम्बर, 1980 ई0
(19 कार्तिक, शक संवत् 1902)

विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(पटल कार्यालय)
संख्या 2965/34(सं)-79
लखनऊ, दिनांक 10 नवम्बर, 1980

अधिसूचना
प्रकीर्ण

"चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 24 सितम्बर, 1980 के उपवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकार किया है कि "विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों पर विचार करने हेतु सामान्य प्रयोजन समिति" के गठन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 27 मार्च, 1979 को पारित प्रस्ताव, जिस पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने 16 अप्रैल, 1979 को अपनी सहमति प्रदान की, को निरस्त करते हुए यह निश्चय करता है कि उक्त विषयों पर विचार हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा की एक "विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति" अध्यक्ष द्वारा गठित की जाय, जिसमें अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा नाम-निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश विधान सभा के 10 सदस्य और सभापति, विधान परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के 5 सदस्य हों और जो अपने गठन के 6 माह के अन्दर उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों को अपनी संस्तुतियाँ प्रतिवेदित करें। अन्य विषयों में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के समितियों से सम्बन्धित उपबन्ध लागू होंगे।

यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से यह अनुरोध करता है कि वह कृपया इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान करे।"

और, चूंकि उक्त प्रस्ताव विधान परिषद् द्वारा 4 अक्तूबर, 1980 की बैठक में निम्नलिखित संशोधन के साथ स्वीकार हुआ :—

"प्रस्ताव की चौथी पंक्ति में "विचार हेतु" के बाद "उत्तर प्रदेश विधान सभा', के स्थान पर 'उत्तर प्रदेश विधान मण्डल रख दिया जाय'।

और, चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 के उपवेशन में उक्त संशोधन से सहमति प्रकट की,

अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसार श्री अध्यक्ष, विधान सभा तथा श्री सभापति, विधान परिषद् ने क्रमशः

विधान सभा एवं विधान परिषद् के निम्नलिखित सदस्यों को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की उक्त समिति का सदस्य नाम-निर्दिष्ट किया है:—

सदस्य, विधान सभा

1—श्री यादवेन्द्र सिंह (लल्लन जी), उपाध्यक्ष, विधान सभा।

2—श्री ब्रह्म दत्त, वित्त मन्त्री, उत्तर प्रदेश।

3—डा0 अम्मार रिजवी, संसदीय कार्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश।

4—श्री राजेन्द्र त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा, 53-ए, पूरा दलेल, बाघम्बरी, इलाहाबाद।

5—श्री संजय सिंह, सदस्य, विधान सभा, रामनगर, अमेठी, सुल्तानपुर।

6—श्रीमती सुखदा मिश्रा, सदस्या, विधान सभा, 89, सिविल लाइन्स, इटावा।

7—श्री स्वामी प्रसाद सिंह, सदस्य, विधान सभा, खान दाऊदयाल रमेडी, पो0 व तह0 व जनपद हमीरपुर।

8—श्री दिवाकर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा, ग्राम व पो0 अठदमा, बस्ती।

9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा, सिविल लाइन्स, सीतापुर।

10—श्री मीखा लाल, सदस्य, विधान सभा, ग्राम व पोस्ट रामपुर गढौवा, उन्नाव।

सदस्य, विधान परिषद्

1—श्री उमाकान्त मिश्र, सदस्य, विधान परिषद्, इमरती रोड, गनेशगंज, मिर्जापुर।

2—डा0 विश्वनाथ खन्ना, सदस्य, विधान परिषद्, रामतीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ।

3—श्री सत्य नारायण सिंह, सदस्य, विधान परिषद, ग्राम व पोस्ट सलेमपुर, आजमगढ़।

4—श्री नागेन्द्र नाथ सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, ग्राम व पोस्ट बारानगर, बेतिया-हाता, गोरखपुर।

5—श्री लाल जी टंडन, सदस्य, विधान परिषद्, सोंधी टोला, चौक, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 201 के उपनियम (1) के परन्तुक के अन्तर्गत श्री उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे।

आज्ञा से,
सत्य प्रिय सिंह,
सचिव।

परिशिष्ट-(ख)

समिति की कार्यवाहियों के संक्षिप्त विवरण

दिनांक 21-11-1980 समय -11 बजे पूर्वाह्न

स्थान--समिति कक्ष संख्या 48-क--विधान भवन, लखनऊ।

उपस्थिति

सदस्य, विधान सभा--

1--श्री यादवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष ....,... सभापति

2--श्री राजेन्द्र त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा, सदस्य

3--श्री स्वामी प्रसाद सिंह, सदस्य, विधान सभा, सदस्य

4--श्री भीखा लाल, सदस्य, विधान सभा, सदस्य

5--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा, सदस्य

विधान सभा सचिवालय--

1--श्री ललित मोहन त्रिपाठी, उप सचिव, विधान सभा

2--श्री राजा घनश्याम, अनु सचिव, विधान सभा

समिति की बैठक माननीय सभापति के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई। निश्चय किया गया कि लोक सभा/राज्य सभा तथा अन्य राज्यों से विधायकों के वेतन, भत्ते एवं उपलब्धियों के सम्बन्ध में सूचना माँग ली जाय।

यह भी निश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदस्यों की समय-समय पर जो उपलब्धियाँ रही हैं उनका भी विवरण तैयार करा लिया जाय तथा पार्क रोड पर जो फ्लैट्स सदस्यों को दिए गये और जो दूसरे स्थानों पर फ्लैट्स हैं उनमें क्या विसंगतियाँ हैं उनके सम्बन्ध में एक तुलनात्मक चार्ट बना कर प्रस्तुत किया जाय।

तत्पश्चात् समिति की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

दिनांक 5-11-1981 समय--11 बजे पूर्वाह्न

स्थान--समिति कक्ष संख्या 48 -क- विधान भवन, लखनऊ

उपस्थिति

सदस्य, विधान सभा--

1--श्री यादवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष	सभापति
2--श्री दिवाकर विक्रम सिंह,	सदस्य
3--श्री भीखा लाल,	सदस्य
4--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त,	सदस्य

सदस्य, विधान परिषद्--

5--श्री उमाकान्त मिश्र,	सदस्य
6--श्री नागेन्द्र नाथ सिंह,	सदस्य
7--श्री लाल जी टण्डन,	सदस्य

विधान सभा सचिवालय--

1--श्री सत्य प्रिय सिंह, सचिव,

2--श्री ललित मोहन त्रिपाठी, उप सचिव

3--श्री वी0 एन0 टण्डन, अनु सचिव एवं लेखाधिकारी

4--श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना, अनु सचिव एवं समिति अधिकारी।

समिति की बैठक माननीय सभापति के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई। माननीय सदस्यों को दिए गये पार्क रोड के फ्लैट्स तथा अन्य फ्लैट्स में क्या विसंगतियाँ हैं इस के विषय में निश्चय किया गया कि सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को अगली बैठक में साक्ष्य हेतु बुला लिया जाय।

विधान मण्डल के वर्तमान एवं भूतपूर्व सदस्यों को मिलने वाली सुविधाओं पर विचार आरम्भ हुआ। विचार अपूर्ण रहा।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

दिनांक 27-1-1981 [समय—5 बजे अपराह्न
स्थान—समिति कक्ष संख्या 48-ख— विधान भवन, लखनऊ]

उपस्थिति

सदस्य, विधान सभा—

1—श्री यादवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष . . . . सभापति
2—डा0 अम्मार रिजवी, संसदीय कार्य मन्त्री . . . . सदस्य
3—श्री स्वामी प्रसाद सिंह . . . . सदस्य
4—श्री दिवाकर विक्रम सिंह . . . . सदस्य
5—श्री भीखा लाल . . . . सदस्य

सदस्य, विधान परिषद्—

6—डा0 विश्वनाथ खन्ना . . . . सदस्य
7—श्री नागेन्द्र नाथ सिंह . . . . सदस्य

विधान सभा सचिवालय—

1—श्री सत्य प्रिय सिंह, सचिव
2—श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना, अनु सचिव एवं समिति अधिकारी

सचिवालय—

1—श्री एन0 एम0 मजमूंदार, सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग
2—श्री पी0 एन0 मिश्र, राज्य सम्पत्ति अधिकारी

समिति की बैठक माननीय सभापति के सभापतित्व में आरम्भ हुई। पार्क रोड के फ्लैट्स तथा अन्य विधायक निवासों के फ्लैट्स की विसंगतियों के सम्बन्ध में सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा राज्य सम्पत्ति अधिकारी का साक्ष्य हुआ।

साक्ष्य के उपरान्त समिति की बैठक स्थगित हुई।

दिनाँक 3 अप्रैल, 1981 समय—2 बजे अपराह्न

स्थान—समिति कक्ष संख्या 48-क-विधान भवन, लखनऊ।

उपस्थिति

सदस्य, विधान सभा—

1—श्री यादवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष ...... सभापति

2—डा0 अम्मार रिजवी, संसदीय कार्य मन्त्री ...... सदस्य

3—श्रीमती सुखदा मिश्रा ...... सदस्या

4—श्री स्वामी प्रसाद सिंह ...... सदस्य

5—श्री दिवाकर विक्रम सिंह ...... सदस्य

6—श्री भीखा लाल ...... सदस्य

सदस्य, विधान परिषद्—

7—श्री नागेन्द्र नाथ सिंह ...... सदस्य

8—श्री लाल जी टण्डन ...... सदस्य

9—डा0 विश्वनाथ खन्ना ...... सदस्य

विधान सभा सचिवालय—

1—श्री सत्य प्रिय सिंह, सचिव

2—श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना, अनु सचिव एवं समिति अधिकारी।

समिति की बैठक माननीय सभापति की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।

विधान मण्डल के वर्तमान एवं भूतपूर्व सदस्यों को मिलने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों पर अग्रेतर विचार किया गया। विचार जारी रहा।

तदुपरान्त समित की बैठक स्थगित हुई।

दिनांक 4 मई, 1981 समय---3 बजे अपराह्न

स्थान---समिति कक्ष संख्या 48-क-विधान भवन, लखनऊ।

उपस्थिति

सदस्य, विधान सभा---

1---श्री यादवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष...... सभापति
2---श्रीमती सुखदा मिश्रा...... सदस्य......
3---श्री दिवाकर विक्रम सिंह...... सदस्य
4---श्री भीखा लाल...... सदस्य
5---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त...... सदस्य

विधान सभा सचिवालय---

1---श्री सत्य प्रिय सिंह, सचिव
2---श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना, अनु सचिव एवं समिति अधिकारी।

× × ×

कोरम के अभाव में समिति की बैठक स्थगित हुई।

दिनांक 5 मई, 1981 समय—11 बजे पूर्वाह्न

स्थान—समिति कक्ष संख्या 48-क-विधान भवन, लखनऊ।

उपस्थिति

सदस्य, विधान सभा—

1—श्री यादवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष ...... सभापति
2—श्रीमती सुखदा मिश्रा ...... सदस्या
3—श्री दिवाकर विक्रम सिंह ...... सदस्य
4—श्री भीखा लाल ...... सदस्य
5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ...... सदस्य

विधान सभा सचिवालय—

1—श्री सत्य प्रिय सिंह, सचिव
2—श्री प्रेम चन्द सक्सेना, अनु सचिव एवं समिति अधिकारी।

× ×

कोरम के अभाव में समिति की बैठक स्थगित हुई।

दिनाँक 6 मई, 1981 समय—11 बजे पूर्वाह्न

स्थान—समिति कक्ष संख्या/48–क–विधान भवन, लखनऊ।

उपस्थिति

सदस्य, विधान सभा—

1—श्री यादवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष...... सभापति.
2—डा0 अम्मार रिजवी, संसदीय कार्य मन्त्री ...... सदस्य
3—श्रीमती सुखदा मिश्रा...... सदस्य
4—श्री दिवाकर विक्रम सिंह...... सदस्य
5—श्री भीखा लाल...... सदस्य
6—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त...... सदस्य

सदस्य, विधान परिषद्—

7—श्री उमा कान्त मिश्र...... सदस्य
8—डा0 विश्वनाथ खन्ना...... सदस्य

विधान सभा सचिवालय—

1—श्री सत्य प्रिय सिंह, सचिव
2—श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना, अनु सचिव एवं समिति अधिकारी।

समिति की बैठक माननीय सभापति की अध्यक्षता में आरम्भ हुई। विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा अन्य उपलब्धियों के सम्बन्ध में समय-समय पर प्राप्त सुझावों पर आगे विचार प्रारम्भ हुआ। विचारोपरान्त समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिए:—

सदस्यों को मिलने वाले वेतन के सन्दर्भ में अधिनियम में जहाँ-जहाँ शब्द 'वेतन' प्रयुक्त हुआ है, वहाँ 'वेतन' के स्थान पर शब्द 'प्रतिकर भत्ता' रख दिया जाय।

प्रदेश के अन्दर रेल यात्रा हेतु रेल कूपनों के स्थान पर रेल पास दिए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि शासन से कहा जाय कि वह केन्द्र सरकार को रेल पासेज की व्यवस्था हेतु पुनः लिखें।

प्रदेश के बाहर के रेल कूपनों की सीमा 5000 रु0 और बढ़ाए जाने का सुझाव अस्वीकार किया गया।

टेलीफोन सुविधा सम्बन्धी तीनों सुझाव अस्वीकृत कर दिए गये।

चिकित्सा सुविधा के सम्बन्ध में निश्चय किया गया कि विधायकों को 200 रु0 प्रति माह चिकित्सा भत्ता दिया जाय और अगर वह अस्पताल में भर्ती होते हैं तो वहाँ पर चिकित्सा मुफ्त हो जैसा कि इस समय है।

वाहन क्रय की सुविधा के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि माननीय सदस्यों को एक मोटर गाड़ी/जीप/स्कूटर/मिटाडोर क्रय करने के लिए शासन से बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराया जाय, जिसकी वसूली सदस्य की उपलब्धियों से ऐसे किस्तों में जो उसके सामान्य कार्यकाल में समाप्त हो, होगी और वाहन तब तक राज्य सरकार को बन्धक रहेगा जब तक ऋण की वसूली न हो जाय।

पेंशन की अधिकतम सीमा बढ़ाकर रु0 600 किए जाने का सुझाव अस्वीकार किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि समस्त भूतपूर्व विधायकों को उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में फ्री पास की सुविधा दी जाय।

महिला विधायकों को अंगरक्षक की सुविधा दिए जाने के सम्बन्ध में निर्णय किया गया कि जो सहवर्ती की सुविधा उत्तर प्रदेश के भीतर रेल यात्रा कूपनों से महिला सदस्यों को सदन एवं उसकी समितियों की बैठकों के समय प्राप्त है वही अन्य सामान्य यात्राओं के सम्बन्ध में भी प्रदेश के अन्दर प्राप्त हो ।

प्रदेश में सड़क यात्राओं के सम्बन्ध में परिवहन निगम द्वारा विधायकों को प्रदत्त सुविधाओं के सम्बन्ध में परिवहन मन्त्री को लिखा जाय कि जो बस सुविधा मा0 सदस्यों को दी गयी है उसके सम्बन्ध में इस विभाग के सभी कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाय ताकि जो असुविधा कभी-कभी परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही प्राइवेट बसों में होती है वह न हो।

विधायकों को आवास आवंटन के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि केन्द्र की भांति उत्तर प्रदेश में भी विधायक निवासों के आवंटन और रख रखाव की व्यवस्था दोनों सदनों की एक समिति के अधीन हो और उससे सम्बन्धित सारा कार्य सदन के सचिव द्वारा हो। साथ ही, आवंटन के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सिद्धान्त भी निश्चित कर दिए जायं।

यह भी निश्चय किया गया कि समिति का कार्यकाल जो 9 मई, 1981 को समाप्त हो रहा है बढ़ाकर अगले सत्र के प्रथम दिन तक कर दिया जाय।

तदुपरान्त समिति की बैठक स्थगित हुई।

दिनांक 10-9-1981 समय—अपराह्न 3 बजे

स्थान—विधान मण्डल पुस्तकालय समिति कक्ष

उपस्थिति

सदस्य, विधान सभा—

1—श्री यादवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष ...... सभापति
2—डा0 अम्मार रिजवी, संसदीय कार्य मन्त्री ...... सदस्य
3—श्री राजेन्द्र त्रिपाठी, गृह राज्य मन्त्री ...... सदस्य
4—श्री दिवाकर विक्रम सिंह ...... सदस्य
5—श्री भीखा लाल ...... सदस्य
6—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ...... सदस्य

सदस्य, विधान परिषद्

7—डा0 विश्वनाथ खन्ना ...... सदस्य
8—श्री छेदी प्रसाद ...... सदस्य
9—श्री लालजी टण्डन ...... सदस्य

विधान सभा सचिवालय

श्री सत्य प्रिय सिंह, सचिव
श्री प्रद्युम्न कुमार, अनु सचिव एवं समिति अधिकारी

समिति की बैठक माननीय सभापति के सभापतित्व में आरम्भ हुई। निश्चय किया गया कि समिति का कार्यकाल जो 9 मई, 1981 को समाप्त होने वाला था और जिसे समिति ने अपनी पिछली बैठक में आगामी सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ाए जाने की संस्तुति की थी, 30 नवम्बर, 1981 तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों के सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों में से अवशिष्ट सुझावों पर विचार करके निम्नलिखित निर्णय लिए गये:—

"1—बस से यात्रा करने पर बस के किराए के बराबर जिस प्रकार से रेल यात्रा के सम्बन्ध में व्यवस्था है, उसी प्रकार आनुषांगिक व्यय दिया जाय।

2—सड़क यात्रा के सम्बन्ध में जैसा कि वित्त विभाग की सहमति से विशेष आदेश द्वारा व्यवस्था की गयी है उसी के अनुरूप नियमों में यह व्यवस्था कर दी जाय कि जब समिति दौरे पर जाय उस समय सदस्यों की संख्या को देखते हुए चार्टर्ड बस या फुल कैपिसिटी की टैक्सी की व्यवस्था की जाय तथा भुगतान सम्बन्धित सचिवालय द्वारा किया जाय और उस दशा में सदस्यों के यात्रा भत्ता देय न हो।"

निजी बस की उपलब्धता के बारे में भी नियमों में स्थिति स्पष्ट कर दी जाय कि "समय से सुविधानुसार निजी बस उपलब्ध हो, न कि केवल मार्ग पर निजी बस चलना मात्र अपेक्षित हो।

आवास सुविधा के सम्बन्ध में निर्णय लिया कि सदस्यों को जमीन और मकान खरीदने के लिए ऋण की उतनी धनराशि दी जाय जो आवास एवं विकास परिषद् द्वारा हायर इन्कम ग्रुप के लिए निर्धारित है और उस ऋण की वसूली उतनी समान किश्तों में की जाय जो सरकारी अधिकारियों के लिए निर्धारित है। ऋण पर ब्याज भी उसी दर पर लिया जाय जो सरकारी कर्मचारियों को मकान बनवाने हेतु दिए गये ऋण पर देय होता है और उसकी वसूली भी जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों से प्रिंसिपिल और इन्ट्रेस्ट से की जाती है उसी प्रकार के इंस्टालमेंट्स में की जाय।

वाहन सुविधा के सम्बन्ध में 6 मई, 1981 को लिए नये निर्णय पर पुनर्विचार कर यह निश्चय किया गया कि बजाय ऋण देने के शासन मोटरगाड़ी, जीप, स्कूटर मेटाडोर आदि के क्रय करने के लिए ऋण की व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं से करें और उसे प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए तथा बिक्री-कर से उसको छूट हो। साथ ही साथ एक्साइज ड्यूटी से छूट के लिए केन्द्र सरकार को लिखा जाय।

यह भी निश्चय किया गया कि समस्त भूतपूर्व विधायकों को बस के पास जारी करने के आदेश जारी करा दिए जायें।

प्रदेश के अन्दर रेल/बस यात्रा में सहवर्ती ले जाने पर यात्रा विवरण निर्धारित प्रपत्र ग/च में देने की आवश्यकता को नियमों से निकाल देने की संस्तुति की गयी।

दिनांक 19—10—1981 समय —अपराह्न 3 बजे

स्थान—मा0 उपाध्यक्ष का कक्ष।

उपस्थिति

सदस्य, विधान सभा—

1—श्री यादवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष ...... सभापति

2—श्री दिवाकर विक्रम सिंह ...... सदस्य

3—श्री भीखा लाल ...... सदस्य

सदस्य, विधान परिषद्—

4—डा0 विश्वनाथ खन्ना ...... सदस्य

5—श्री लालजी टण्डन ...... सदस्य

विधान सभा सचिवालय—

1—श्री सत्य प्रिय सिंह, सचिव

2—श्री प्रद्युम्न कुमार, अनु सचिव एवं समिति अधिकारी

समिति की बैठक माननीय सभापति की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।

विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते आदि के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं पर अग्रेतर विचार प्रारम्भ हुआ और निम्न निर्णय लिए गये :—

वर्ष 1937 के उन भू0पू0 सदस्यों को जिन्हें सदस्यता सम्बन्धी पेंशन नहीं मिल रही है, भी मिनिमम 300/—रुपये पेंशन दी जाय चाहे उनकी सदस्यता की अवधि 5 वर्ष से कम कुछ भी रही हो।

वर्तमान चिकित्सा सुविधा के स्थान पर विधायकों को 200/—रुपया प्रति माह चिकित्सा भत्ता दिया जाय, किन्तु उनके तथा उनके परिवार के सदस्यों के अस्पताल में भर्ती होने पर उनकी निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा बरकरार रहे जैसी कि इस समय है।

प्रदेश के अन्दर रेल यात्रा हेतु रेल कूपनों के स्थान पर रेल पास दिए जाने के सम्बन्ध में निश्चय किया गया कि माननीय मुख्य मन्त्री माननीय प्रधान मन्त्री से बातचीत करके रेल पास की व्यवस्था करायें।

बस यात्रा में सहवर्ती से यात्री कर तथा अन्य करों के भुगतान से मुक्ति तथा दूसरा बस पास जारी कराने हेतु 5/— के भुगतान न कराए जाने के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करना वांछनीय नहीं है।

यह भी निश्चय किया गया कि जिन रेल गाड़ियों में प्रथम श्रेणी का डिब्बा न लगता हो अथवा डिब्बा होने के बावजूद स्थान उपलब्ध न हो, उनम रेल कूपनों से द्वितीय श्रेणी का टिकट खरीद कर यात्रा करने की अनुमति दी जाय।

तदुपरान्त समिति की बैठक स्थगित हुई।

दिनांक 7-11-81 समय—11 बजे पूर्वाह्न

स्थान—समिति कक्ष 48 —क—

उपस्थिति

सदस्य, विधान सभा—

1—श्री यादवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष . . . . सभापति
2—श्री स्वामी प्रसाद सिंह . . . . सदस्य
3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त . . . . सदस्य

सदस्य, विधान परिषद्—

4—श्री छेदी प्रसाद . . . . सदस्य
5—डा0 विश्वनाथ खन्ना . . . . सदस्य
6—श्री नागेन्द्र नाथ सिंह . . . . सदस्य
7—श्री लालजी टण्डन . . . . सदस्य

विधान, सभा सचिवालय—

1—श्री सत्य प्रिय सिंह, सचिव
2—श्री प्रद्युम्न कुमार, अनु सचिव एवं समिति अधिकारी

विधायिका विभाग—

1—श्री श्रीनाथ सहाय, उप सचिव एवं उप विधि परामर्शी
2—श्री नारायण प्रसाद, वरिष्ठ शोध अधिकारी एवं सहायक विधि परामर्शी

समिति की बैठक माननीय सभापति के सभापतित्व मे आरम्भ हुई।

समिति के प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार आरम्भ हुआ।

यह निश्चय किया गया कि प्रारूप प्रतिवेदन के "आवास सुविधा" शीर्षक के द्वितीय पैरा के तृतीय पंक्ति में आए शब्दों "मकान खरीदने" के पश्चात "अथवा मकान बनवाने" शब्दों को जोड़ दिया जाय।

यह भी निश्चय किया गया कि प्रारूप प्रतिवेदन के पृष्ठ 4 पर जहां पर विधायकों को चिकित्सा सुविधा की बात है उसके अन्त में यह जोड़ दिया जाय कि भूतपूर्व विधायकों को चिकित्सा सुविधा अस्पताल में भर्ती होने पर निःशुल्क दी जाय चाहे वह पेंशन के हकदार हों या नहीं।

उपर्युक्त संशोधनों के साथ प्रारूप प्रतिवेदन इस शर्त के अधीन स्वीकार किया गया कि भूतपूर्व सदस्यों को जिनकी सदस्यता की अवधि 4 वर्ष 11 माह से कम है, पेंशन दिए जाने के सम्बन्ध में जो निर्णय अगली बैंठक मे होगा उसे इसम जोड़ दिया जायगा।

दिनांक 28 नवम्बर, 1981 — समय—अपराह्न 3 बजे

स्थान—पुस्तकालय समिति कक्ष

उपस्थित

सदस्य, विधान सभा—

1—श्री यादवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष . . . . सभापति

2—श्रीमती सुखदा मिश्रा . . . . सदस्या

3—श्री दिवाकर विक्रम सिंह . . . . सदस्य

4—श्री भीखा लाल . . . . सदस्य

5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त . . . . सदस्य

सदस्य, विधान परिषद्—

6—श्री छेदी प्रसाद . . . . सदस्य

7—श्री नागेन्द्र नाथ सिंह . . . . सदस्य

8—श्री लालजी टण्डन . . . . सदस्य

विशेष रूप से आमंत्रित—

श्री राम रतन सिंह, संसदीय कार्य मन्त्री

विधान सभा सचिवालय—

1—श्री सत्य प्रिय सिंह, सचिव

2—श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना, अनु सचिव एवं समिति अधिकारी

विधायिका विभाग, उत्तर प्रदेश शासन—

1—श्री गंगा बख्श सिंह, सचिव

2—श्री नारायण प्रसाद, वरिष्ठ शोध अधिकारी एवं सहायक विधि परामर्शी

समिति की बैठक मा0 सभापति के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।

समिति ने भूतपूर्व सदस्यों को भी जो विधान सभा के विघटन के कारण अपनी 5 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर सके हैं, अथवा जिनकी 5 वर्षों की अवधि दो विधान सभाओं की कालावधि को मिलाकर भी पूरा नहीं होती है, पेंशन देने के बारे में विचार किया। विचारोपरान्त समिति ने यह संस्तुति की है कि ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को जिनका कार्यकाल एक या एक से अधिक विधान सभाओं के विघटन के कारण 5 साल का नहीं होता उन्हें भी कम से कम दो सौ रुपया पेंशन दी जाय ।

समिति ने प्रतिवेदन में शाब्दिक सुधार करने के लिए सचिव, विधान सभा को अधिकृत किया ।

समिति ने सर्वसम्मति से यह भी निश्चय किया कि चूंकि विधान सभा का अधिवेशन नहीं हो रहा है और चूंकि समिति का कार्यकाल 30 नवम्बर, 1981 को समाप्त हो रहा है, अतः माननीय सभापति, समिति का प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दें तथा प्रक्रिया नियमावली के नियम 215 के अधीन प्रतिवेदन की एक प्रति, सदन म उपस्थापित करने से पूर्व शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दी जाय ।

तदुपरान्त समिति की बैठक स्थगित हुई ।

परिशिष्ट–(ग)

विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन भत्ते, एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति के विचारार्थ समय-समय पर माननीय सदस्यों के सुझाव

वेतन भत्ते आदि सम्बन्धी सुझाव——

1——विधायकों को देय 'वेतन', के स्थान पर शब्द 'भत्ता' रख दिया जाय।

2——कुल परिलब्धियां 1000/- प्रति माह के स्थान पर 1,500/- की जाय।

3——दैनिक भत्ता 30/ रु0से 51/-रु0 किया जाय (पंजाब तथा हरियाणा के समान)।

4——पर्वतीय क्षेत्र में बस भाड़ा भी दिया जाय तथा तद्नुसार भत्ता दिया जाय।

आवास सुविधा सम्बन्धी सुझाव——

5——विधान मण्डल के सदस्यों एवं भूतपूर्व सदस्यों को लखनऊ में स्थायी आवास हेतु भूमि एवं निर्माण हेतु ऋण आदि की सुविधा प्रदान की जाय।

6——लखनऊ में विधायकों को आवास बनाने के लिए जमीन दिलाई जाय।

यात्रा सुविधा सम्बन्धी सुझाव——

7——रेल कूपनों के स्थान पर उत्तर प्रदेश के अन्दर यात्रा हेतु रेल पास की व्यवस्था की जाय एवं प्रदेश के बाहर यात्रा हेतु कूपन ही रहें।

8——बस से यात्रा करने पर बस के किराए के बराबर, जैसे कि व्यवस्था रेल में है, आनुषंगिक व्यय दिया जाय।

9——प्रदेश के अन्दर बस यात्राओं के सम्बन्ध में रोडवेज की बस न उपलब्ध होने पर निजी बस से यात्रा करने का प्राविधान समाप्त किया जाय।

10——प्रदेश में बस यात्रा में सहवर्ती साथ ले जाने पर यात्री-कर तथा अन्य करों के भुगतान का प्राविधान समाप्त किया जाय।

11——रेल/बस यात्रा में सहवर्ती साथ ले जाने पर यात्रा विवरण प्रपत्र 'ग'/'च' में देने की आवश्यकता समाप्त की जाय।

12——बस पास के खो जाने, विकृत अथवा नष्ट हो जाने पर दूसरा बस पास जारी कराने हेतु पांच रुपए के भुगतान का प्राविधान समाप्त किया जाय।

13——प्रदेश के बाहर रेलवे कूपनों से यात्रा करने पर माननीय सदस्यों से यात्रा विवरण प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा को समाप्त किया जाय।

14——कभी-कभी ट्रेन में प्रथम श्रेणी के डिब्बे नहीं होते हैं, अथवा डिब्बा होने पर भी जगह नहीं होती है। ऐसी दशा में रेल कूपनों में द्वितीय श्रेणी के टिकट खरीद कर द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति दी जाय।

15——उत्तर प्रदेश के बाहर रेलवे कूपन की सुविधा 5,000 रु0 मूल्य की और बढ़ाई जाय।

टेलीफोन सुविधा सम्बन्धी सुझाव——

16——जहां भी विधायकगण रहते हों टेलीफोन की सुविधा दी जाय चाहे सामान्य प्रसार वाले क्षेत्र में हो चाहे उसके बाहर हो।

17——1000 लोकल काल्स के बजाय 250 लोकल काल्स तथा 750 लोकल काल्स के बजाय 225/-रु0की धनराशि में से ट्रंक काल्स एवं लोकल काल्स की धनराशि का समायोजन किया जाय।

18——निवास पर दिए गये टेलीफोन को जनपद के अन्दर जनता के कार्यों के लिए निःशुल्क किया जाय।

चिकित्सा सम्बन्धी सुझाव—

19—विधायकों को दवाएं उपलब्ध कराने की वर्तमान व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि दवाएं प्राप्त करने में उन्हें कई-कई दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है और यथा-समय दवायें न मिलने से बीमारी लम्बी हो जाती है। अतः विधायकों के नाम से खाते खोल दिए जायं ताकि आवश्यकतानुसार बाजार से दवायें खरीद कर उसकी रसीद के बदले में रुपया विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय से ही मिल जाया करे। इससे वर्तमान प्रबन्ध में जो कठिनाइयां सामने आ रही हैं वह दूर हो जायेंगी एवं बजट में भी कमी हो जायगी। इस हेतु रु0 500 प्रतिमाह की दर से रु0 6,000 की धनराशि प्रतिवर्ष प्रति विधायक के खाते में जमा कर दी जाये। इस धनराशि में वह खर्च न रखा जाय जो अस्पताल में खर्च करना पड़ता है।

वाहन क्रय करने से सम्बन्धित सुझाव—

20—डीजल जीप खरीदने हेतु, ब्याज रहित ऋण देने की सुविधा दी जाय।

21—डीजल जीप सरकारी करों से मुक्त मूल्य पर उपलब्ध कराया जाय, यदि वह सम्भव न हो तो उसका भार शासन द्वारा वहन किया जाय।

22—ऋण की वसूली विधायक को प्रदत्त निर्वाचन क्षेत्र, भत्ते से की जाय।

23—मोटर कार/जीप, स्कूटर क्रय करने हेतु प्रतिदेय अग्रिम (रिपेएबिल एडवान्स) की सुविधा एवं निर्धारित मूल्य पर एक स्कूटर क्रय करने हेतु सरकारी परमिट दिया जाय।

24—हरियाणा सरकार के आधार पर 4 प्रतिशत ब्याज पर जीप व कार दिया जाय।

25—विधायकों को एम0पी0 के समान एक्साइज ड्यूटी फ्री जीप दिलाई जाय।

भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन की सुविधा सम्बन्धी सुझाव—

26—भूतपूर्व सदस्यों को गतापेक्ष अर्थात् 1 जनवरी, 1977 से पेंशन दी जाय।

27—सन् 1946 से 1952 तक के भूतपूर्व सदस्यों को भी 3 माह 9 दिन की छूट देकर पेंशन की सुविधा दी जाय।

28—पेंशन के सम्बन्ध में 15 अगस्त, 1947 की तिथि को आधार न मानकर 18 फरवरी, 1947 के आधार पर माना जाय।

29—पेंशन 600/- रुपए किया जाय।

30—सन् 1937 के विधायकों को भी पेंशन की सुविधा दी जाय।

31—ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को भी, जिनकी 5 साल की अवधि 2–2 टर्म मिलाकर भी पूरी नहीं है, पेंशन दिया जाय।

32—जो सदस्य विधान सभा विघटन के कारण 5 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर सके हैं उन्हें भी पेंशन दी जाय।

33—विधायक न रहने पर प्रदेश में बस का पास लागू रहे।

34—सन् 1937 के विधायकों को भी राजकीय बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाय।

विविध सुझाव—

35—महिला विधायकों को एक अंग रक्षक की सुविधा दी जाय।

36—परिवहन विभाग को विधायकों के आवागमन हेतु दी गयी सुविधा की जानकारी अविलम्ब कराई जाय।

परिशिष्ट–(घ)

विधान मण्डल के माननीय विधायकों को आवास के लिए भूमि, भवन या भवन निर्माण के लिए ऋण सम्बन्धी सुविधा

सिक्किम विधान सभा ..	भूमि सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्टेट बैंक, सिक्किम से भवन निर्माण के लिए ऋण की सुविधा प्राप्त है।
गोआ, डामन, ड्यू विधान सभा	भूमि सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध नहीं है।
हरियाणा विधान सभा ..	हरियाणा विधान सभा (फेसिलिटीज टू दी मेम्बर्स) ऐक्ट, 1979 के अन्तर्गत वसूली के आधार पर 60 हजार का अग्रिम धन मकान खरीदने या मकान बनाने या मेजर मरम्मत कराने के लिए मिलने का हकदार है। भूतपूर्व सदस्य को यह सुविधा नहीं मिलती।
मध्य देश विधान सभा ..	विधान सभा के सदस्यों एवं भूतपूर्व सदस्यों को भोपाल में स्थायी आवास हेतु भूमि एवं भवन निर्माण हेतु ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान सदस्यों को गृह निर्माण माडल के माध्यम से एम0 आई0 जी0 आवास गृह प्राप्त करने सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।
पाण्डीचेरी विधान सभा ..	आवास के लिए भूमि या किसी प्रकार के ऋण की सुविधा माननीय सदस्यों को नहीं दी जाती है।
केरल विधान मण्डल ..	वर्तमान या भूतपूर्व माननीय सदस्यों को स्थायी आवास या भूमि सम्बन्धी कोई सुविधा नहीं दी जाती है।
पश्चिम बंगाल विधान सभा ..	वर्तमान या भूतपूर्व माननीय सदस्यों को स्थायी आवास या भमि सम्बन्धी कोई सुविधा नहीं दी जाती है।
पंजाब विधान सभा ..	माननीय सदस्यों को वसूली के आधार पर मकान क्रय के लिए अग्रिम धन देने का प्राविधान है।
मद्रास विधान सभा ..	वर्तमान या भूतपूर्व विधायकों को स्थायी आवास या भूमि सम्बन्धी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।
मणिपुर विधान सभा ..	वर्तमान या भूतपूर्व विधायकों को स्थायी आवास या भूमि सम्बन्धी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।
राजस्थान विधान सभा ..	वर्तमान या भूतपूर्व विधायकों स्थायी आवास भूमि या ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
हिमाचल प्रदेश विधान सभा ..	वर्तमान सदस्यों को बना बनाया मकान खरीदने या बनाने के लिए 45,000 रु0 अग्रिम धनराशि देने का प्राविधान है। भूतपूर्व विधायकों को देने का प्राविधान नहीं है।
अरुणाचल प्रदेश विधान सभा	वर्तमान या भूतपूर्व विधायकों को स्थायी आवास भूमि या ऋण देने का प्राविधान नहीं है।
मिजोरम विधान सभा ..	वर्तमान या भूतपूर्व विधायकों को स्थायी आवास, भूमि या ऋण देने का प्राविधान नहीं है।

गुजरात विधान सभा	..	वर्तमान सदस्यों को गांधी नगर में छूट के दर से आवासीय भूमि देने का प्राविधान है। ऋण देने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
त्रिपुरा विधान सभा	..	वर्तमान या भूतपूर्व विधायकों को स्थायी आवास, भूमि या ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
नागालैण्ड विधान सभा	..	वर्तमान या भूतपूर्व विधायकों को स्थायी आवास, भूमि या ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
मेघालय विधान सभा	..	,, ,, ,, ,,
महाराष्ट्र विधान सभा	..	आवास और क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा निर्मित मकानों में 2 प्रतिशत का आरक्षण की सुविधा वर्तमान विधायकों के लिए है।
कर्नाटक विधान मण्डल	..	वर्तमान या भूतपूर्व माननीय सदस्यों को स्थायी आवास, भूमि या भवन निर्माण हेतु ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट--(ङ)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदस्यों को मोटर कार/जीप/स्कूटर क्रय करने हेतु प्रति-देय अग्रिम की सुविधा एवं एक स्कूटर क्रय करने हेतु सरकारी परमिट की सुविधाओं के विषय में विभिन्न राज्यों से प्राप्त सूचना का विवरण--

	अग्रिम धन की सुविधा		स्कूटर परमिट की सुविधा		
क्रम-सं0	राज्य का नाम	मोटर कार	जीप	स्कूटर	स्कूटर परमिट
1	पंजाब	40,000 रु0 तक अग्रिम धन देने की सुविधा है।			
2	हरियाणा	40,000 रु0 अग्रिम धन देने की सुविधा है।	..	..	..
3	मणिपुर	एडवान्स की सुविधा है।	एडवान्स की सुविधा है।	एडवांस की सुविधा है।	परमिट नहीं दिया जाता है।
4	हिमांचल प्रदेश ..	40,000 रु0 अग्रिम धन की सुविधा।	,,	,,	,,
5	तामिलनाडु	इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है।			
6	महाराष्ट्र	,, ,, ,,			
7	केरल	,, ,, ,,			
8	सिक्किम	,, ,, ,,			
9	मिजोरम्	,, ,, ,,			
10	पश्चिम बंगाल	,, ,, ,,			
11	नागा लैण्ड	,, ,, ,,			
12	राजस्थान	,, ,, ,,			
13	मेघालय	,, ,, ,,			
14	लोक सभा ..	,, ,, ,,			

परिशिष्ट-(ट)

संख्या 5062/30-2-332 टी/69

प्रेषक

श्री प्रभाकर राम त्रिपाठी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश विधान सभा,
समिति (सामान्य) अनुभाग।

लखनऊ, दिनांक 23 सितम्बर, 1981

विषय--उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विधायकों को निःशुल्क यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में।

महोदय,

परिवहन अनुभाग-2

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1538/15 स0सा0प्र0/80, दिनांक 24 अगस्त, 1981 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन निगम द्वारा समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों तथा समस्त उप प्रधान प्रबन्धक (जोन्स) को माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु आवश्यक निर्देश उनके पत्र संख्या 3406 रो/282 रो/81, दिनांक 23 जुलाई, 1981 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।

भवदीय,
प्रभाकर राम त्रिपाठी,
उप सचिव।

महत्वपूर्ण/अत्यावश्यक

कार्यालय प्रधान प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

संख्या 3406 रो/282 रो, 81 दिनांक: लखनऊ, जुलाई 27, 1981

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम।

विषय:—संसद सदस्यों एवं विधायकों के लिए समस्त (डीलक्स एवं वायुशीतित) प्रकार की सेवाओं में सीट का आरक्षण सुनिश्चित किया जाना।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 2805 आर0डब्लू0/20 आर0 डब्लू0/एक्यू0/77, दिनांक 22–6–81 के सन्दर्भ में व्यक्त करना है कि माननीय विधायकों से अभी भी इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि बसों में उनके लिए सीटों का आरक्षण नहीं किया गया है।

कृपया सुनिश्चित करें कि निगम प्रबन्धकों के अन्तर्गत संचालित समस्त प्रकार की बसों में चाहे वे अनुबन्धित हों या डीलक्स या वायुशीतित, प्रत्येक बस में "सांसदों एवं विधायकों के लिए आरक्षित सीट" अवश्य लिखा जाय। कृपया माननीय सदस्यों के आगमन पर उन्हें सीट उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था भी आश्वस्त करें।

यदि अब इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा परिवाद प्राप्त होंगे तो सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायगी।

पत्र प्राप्ति की सूचना भी भेजें।

बी0 एस0 मलकानी,
अतिरिक्त प्रधान प्रबन्धक (संचालन)।

सं0 3406 आर0डब्लू0(1)/81, समदिनांकित

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त उप प्रधान प्रबन्धक (जोन्स) को प्रेषित।

बी0 एस0 मलकानी,
अतिरिक्त प्रधान प्रबन्धक (संचालन)।

आर0जी0 2378।
निर्गमन के लिए प्राधिकृत
बी0 पी0 गुप्ता,
उप प्रधान प्रबन्धक (संचालन)।

परिशिष्ट-(ठ)

समिति की संस्तुतियों का सारांश

क्रम-संख्या	संस्तुति

1--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 1980 में यथास्थान, शब्द देय 'वेतन' के स्थान पर शब्द 'प्रतिकर भत्ता' रख दिया जाय।

2--बस के यात्रा करने पर, बस के किराए के बराबर जिस प्रकार रेल यात्रा के सम्बन्ध में व्यवस्था है, आनुषंगिक व्यय दिया जाय।

3--सदस्यों को जमीन और मकान खरीदने अथवा मकान बनवाने के लिए ऋण की उतनी धनराशि दी जाय जो आवास एवं विकास परिषद् द्वारा हायर इनकम ग्रुप के मकानों के लिए निर्धारित है और उस ऋण की वसूली उतनी समान किस्तों में की जाय जो सरकारी अधिकारियों के लिए निर्धारित है। ऋण पर ब्याज भी उसी दर पर लिया जाय जो सरकारी कर्मचारियों को मकान बनवाने हेतु दिए गये ऋण पर देय होता है और उसके मूलधन और ब्याज की वसूली भी सरकारी कर्मचारियों की भांति इंस्टालमेंट में की जाय।

4--प्रदेश के अन्दर रेल यात्रा हेतु रेल कूपनों के स्थान पर रेल पास दिए जाने के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री कृपया माननीय प्रधान मन्त्री से बातचीत करके इसका कोई हल निकाल लें।

5--विधायकों को उपलब्ध वर्तमान चिकित्सा सुविधा के स्थान पर रु0 200 प्रतिमाह प्रति विधायक चिकित्सा भत्ता दे दिया जाय किन्तु उनके तथा उनके परिवार के सदस्यों के अस्पताल में भर्ती होने की दशा में उन्हें निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाय जैसा कि इस समय है।

6--भूतपूर्व विधायकों को अस्पताल में भर्ती होने पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाय चाहे वे पेंशन के हकदार हों या न हों।

7--शासन विधायकों को एक मोटर गाड़ी/जीप/मेटाडोर/स्कूटर आदि क्रय करने हेतु ऋण की व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं से करे और उसे प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए तथा उसे बिक्री-कर से छूट दे। साथ ही एक्साइज ड्यूटी से छूट के लिए केन्द्र सरकार को लिखा जाय।

8--वर्ष 1937 के ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, कम से कम 300 रु0 प्रतिमाह पेंशन दी जाय, उनकी सदस्यता की अवधि चाहे कुछ भी रही हो।

9--ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को, जिनका कार्यकाल एक या एक से अधिक विधान सभा के विघटन के कारण पांच साल का नहीं होता, भी कम से कम दो सौ रुपया पेंशन दी जाय।

10--समस्त भूतपूर्व विधायकों को उत्तर प्रदेश की राजकीय बसों में निःशुल्क बस यात्रा हेतु बस पास की सुविधा प्रदान की जाय।

11—जैसा कि वित्त विभाग की सहमति से विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी किए गये आदेश संख्या 2482/56 (सा0अ0) 77, दिनांक 24–5–79 द्वारा व्यवस्था की गयी है। उसी के अनुरूप नियमों में यह व्यवस्था कर दी जाय कि समिति जब दौरे पर जाय उस समय सदस्यों की संख्या को देखते हुए चार्टर्ड बस या आवश्यकतानुसार फुल कैपिसिटी की टैक्सी की व्यवस्था की जाय तथा भुगतान सदन से सम्बन्धित सचिवालय द्वारा किया जाय और उस दशा में माननीय सदस्यों को यात्रा भत्ता देय न हो।

12—सड़क द्वारा यात्रा में राजकीय बस न उपलब्ध होने की दशा में निजी बस द्वारा यात्रा करने के सम्बन्ध में नियमों को संशोधित करके स्थिति स्पष्ट कर दी जाय कि "समय से, सुविधानुसार निजी बस उपलब्ध हो" न कि केवल मार्ग पर निजी बस चलना मात्र अपेक्षित हो।

13– विधायकों को आवास आवंटन और रख-रखाव की व्यवस्था दोनों सदनों की एक समिति के अधीन कर दिया जाय तथा उस से सम्बन्धित कार्य सदन के सचिवालय में हो। इसके साथ ही, विधायकों को आवास आवंटन के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शक सिद्धान्त निश्चित कर दिए जायं ताकि उसी के अनुसार आवंटन हो सके। मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों में विधायकों की वरिष्ठता, आयु, स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखा जाय।

14—जो सहवर्ती की सुविधा उत्तर प्रदेश के भीतर रेल यात्रा कूपनों से महिला सदस्यों को सदन और उसकी समितियों की बैठकों के समय प्राप्त हैं वही अन्य सामान्य यात्राओं के सम्बन्ध में प्रदेश के अन्दर प्राप्त हो।

15—रेल/बस यात्रा में सहवर्ती द्वारा की गयी यात्राओं का विवरण निर्धारित प्रपत्र पर दिए जाने की आवश्यकता सम्बन्धित नियमों में संशोधन करके समाप्त की जाय।

16– जिस ट्रेन में फर्स्ट क्लास का कम्पार्टमेंट न लगता हो या फर्स्ट क्लास का कम्पार्टमेंट लगने के बावजूद स्थान उपलब्ध न हो वहां सेकेण्ड क्लास का टिकट खरीद कर यात्रा करने का प्राविधान नियमों में कर दिया जाय।

पी0एस0यू0पी0—एल0 204 वि0 सभा (373)—1981—750।